

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

परिपत्र

रमजान के पवित्र महीने में इफ्तार का समय सूर्यास्त के साथ ही शुरू होता है.

अतः यह विनिश्चय किया गया है कि वे मुस्लिम रेल कर्मचारी जो रोजा रखते हैं और जिन्हे इफ्तार के लिए अपने घर पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उन्हें जहाँ-कहीं व्यावहारिक हो, समय से पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाए.

(पी.एस. मीणा)

निदेशक (सा. प्र.)

रेलवे बोर्ड

स. 2014/जी/35/1

नई दिल्ली, दिनांक 27/06/2014

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

CIRCULAR

During the Holy month of Ramzan, the time of Iftar coincides with setting of the sun, which takes place quite early.

It has, therefore, been decided that those Muslim Railway employees who observe fast and are required to travel a long distance to their residence for Iftar, may be allowed to leave office early, wherever feasible.

(P.S. Meena)

Dir.(Gen. Adm.)

Railway Board

No. 2014/G/35/1

Dated 27/06/2014